प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सी0एण्डडी0एस0,
उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय),
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 14 मार्च, 2024

विषय:- क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ के इन्दिरानगर स्थित न्यू कैम्पस (प्रशासनिक भवन एवं हास्टल) के निर्माण हेतु पूर्वनिर्मित भवन के Structural Stability की जांच हेतु भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक (नि0-8), सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्र संख्या-168/म0प्र0 (नि0-8)/कार्य-2/12 , दिनांक 07.03.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ के इन्दिरानगर स्थित न्यू कैम्पस (प्रशासनिक भवन एवं हास्टल) के निर्माण हेतु पूर्वनिर्मित भवन के Structural Stability की जांच हेतु **रू0 21.24 ( रुपये इक्कीस लाख चौबीस हजार मात्र )** की धनराशि निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

**नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों**

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक,सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा कोषागार/नोडल खाते में रखी जायेगी।

(2) नगरीय निकाय के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबन्ध के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(3) अवमुक्त धनराशि का उपभोग भारत सरकार की गाइड-लाइन्स के अनुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/शासन/महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को उपलब्ध कराया जाय।

(4) धनराशि एकमुश्त अहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि का कोई अंश बैंक/पोस्ट् आफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखा जायेगा, इसका रख-रखाव भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

**2-** इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 21,24,000 ( रुपये इक्कीस लाख चौबीस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217808000300 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर क्रियान्वित परियोजनाओं के अन्तर्गत परामर्शी सेवाएं **मानक मद** 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

-2-

**3-** यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
14.03.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-361/2024/1552(1)/नौ-5-2024/001-Computer No-1795701-PPP, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), उ0प्र0 लखनऊ।
4-जिलाधिकारी, लखनऊ।
5-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
6-सहायक निदेशक (लेखा) नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
8-निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
9-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
14.03.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या-361(1)/2024/1552(1)/नौ-5-2024/001-Computer No-1795701-PPP

लखनऊ:: दिनांक 15 मार्च, 2024

**शुद्धि-पत्र**

क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ के इन्दिरानगर स्थित न्यू कैम्पस (प्रशासनिक भवन एवं हास्टल) के निर्माण हेतु पूर्वनिर्मित भवन के Structural Stability की जांच हेतु **रू0 21.24** की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-361/2024/1552/नौ-5-2024/001-Computer No-1795701-PPP दिनांक 14.03.2024 के सम्बोधन में त्रुटिवश मात्र निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ" अंकित किया गया है, जिसके स्थान पर निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ समझा एवं पढ़ा जाय।

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश के नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों के नियम (1) में "स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक,सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा कोषागार/नोडल खाते में रखी जायेगी अंकित हो गया है", जिसके स्थान पर "स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक,सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ को कोषागार/नोडल खाते में रखी धनराशि से निर्गत की जायेगी।" समझा एवं पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 14.03.2024 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा व समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

15.03.2024

(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव,

<u>संख्या-361/2024/1552(2)/नौ-5-2024/001-Computer No-1795701-PPP, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), उ0प्र0 लखनऊ।

4-जिलाधिकारी, लखनऊ।

5-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।

6-सहायक निदेशक (लेखा) नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

7-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।

8-निदेशक,सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ

9-निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।

10-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

11-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

12-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

13-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

15.03.2024

(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव,

Arun ji-Go-SBM-2023-24-VC